

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

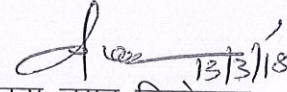
पत्रांक : 510/मानचित्र उद्घोष/चेन-जे/18

दिनांक : 14/03/18

पूर्णता प्रमाण-पत्र

मै0 इन्डस वैली प्रमोटर्स लि0 द्वारा निदेशक श्री अजय गुप्ता एवं इन्डस वैली प्रमोटर्स द्वारा पार्टनर श्री अजय गुप्ता के अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.10.2016 द्वारा पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-15/12 में शीलकुंज-तृतीय कालोनी ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, मेरठ के खसरा संख्या-612पार्ट, 613पार्ट, 624पार्ट, 625, 626पार्ट, 627पार्ट, 633, 634, 635पार्ट, 636, 637पार्ट, 638पार्ट, 639पार्ट, 640पार्ट कुल क्षेत्रफल 96497.00 वर्ग मी0 भूमि पर स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-15/12 का पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन के क्रम में अभियन्ताओं एवं समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के अंतर्गत कालोनी के विकास हेतु की गई प्रतिबंधों एवं शर्तों के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़क, सीवर, नाली, विद्युत, पार्क एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग विकसित पाया गया। समिति द्वारा की गई संस्तुति दि0-17.02.2018 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दि0-24.02.2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अंकित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दि0-12.03.18 का अनुपालन सुनिश्चित करने की शर्त के साथ नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(2) के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।


मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Recd By

14/3/18

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ पृष्ठ संख्या 51 नोटशीट

प्रभारी अधिकारी,

कृपया तलपट मानचित्र पत्रावली सं०-15/12 में मै० इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० द्वारा श्री अजय गुप्ता द्वारा कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने तथा आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष बंधक भूखण्डों को अवमुक्त करने के प्रार्थना पत्र के क्रम में सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 17-02-18 को कालोनी का स्थल निरीक्षण किया गया। समिति की स्थल निरीक्षण की आख्या दांगी ओर संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु तलपट मानचित्र तथा स्वीकृत तलपट मानचित्र का विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	विवरण	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार	पूर्णता प्रमाण पत्र के मानचित्र के अनुसार	प्रतिशत
1	भूमि का क्षेत्रफल	96,497.00 वर्ग मी०	96,497.00 वर्ग मी०	
2	मास्टर प्लान सड़कों अन्तर्गत	2092.00 वर्ग मी०	2092.00 वर्ग मी०	
3	नेट भूमि का क्षेत्रफल	94,405.00 वर्ग मी०	94,405.00 वर्ग मी०	100 प्रतिशत
4	भूखण्डों/भवनों का क्षेत्रफल	57,507.00 वर्ग मी०	57,230.98 वर्ग मी०	60.62 प्रतिशत
5	एल०आई०जी० व ई०डब्ल्यू०एस० भवनों हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल	25,75.00 वर्ग मी०	2575.00 वर्ग मी०	2.73 प्रतिशत
6	शैक्षिक भूखण्ड का क्षेत्रफल	1008.00 वर्ग मी०	1008.00 वर्ग मी०	1.07
7	पार्क व खुले स्थलों का क्षेत्रफल	14,161.00 वर्ग मी०	14,298.25	15.14 प्रतिशत
8	सड़कों का क्षेत्रफल	19,154 वर्ग मी०	19,292.77 वर्ग मी०	20.44 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार यह भी अवगत कराना है कि स्वीकृत तलपट मानचित्र में दर्शित भूखण्ड सं०-589 व 590 को खत्म कर दिया गया है तथा भूखण्ड सं०-588 व 591 का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। तथा भूखण्ड सं०-588 व 591 के मध्य 7.50X18.30 की ओपन स्पेस छोड़ा गया तथा भूखण्ड सं०-580 का क्षेत्रफल कम करते हुए 9.00 मी० चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है तथा भूखण्ड सं०-581 की मापें बदल दी गई हैं।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ पृष्ठ संख्या 58 नोटशीट

भूखण्डों के कम हुए क्षेत्रफल तथा बड़े हुए क्षेत्रफल को चार्ट में दर्शाया गया है। इस परिवर्तन के उपरान्त भूखण्डों का क्षेत्रफल अर्थात् सैलेबल एरिया पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा कम है एवं पार्क व खुले स्थान तथा सड़कों का क्षेत्रफल अर्थात् सार्वजनिक उपयोग हेतु क्षेत्रफल स्वीकृति की अपेक्षा अधिक है। ये परिवर्तन अनुमन्यता के अन्तर्गत है।

आवेदक द्वारा समस्त बाह्य विकास शुल्क जमा कराया जा चुका है। कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य यथा—सीवर, सड़क, जलापूर्ति, पार्क, विद्युत आपूर्ति व रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार पूर्ण है। इस प्रयोजन हेतु सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के स्थल निरीक्षण आख्या दांयी ओर संलग्न है।

अतः निम्न औपचारिकतायें/शर्तों के आधीन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है—

- 1— कालोनी को आर0डब्ल्यू0ए0/नगर निगम को हस्तान्तरित करने का दायित्व विकासकर्ता का होगा तथा नगर निगम को हस्तान्तरित करने तथा आन्तरिक विकास कार्यों के रखरखाव दायित्व विकासकर्ता का होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
- 2— आवंटियों की शिकायतों के निस्तारण का दायित्व विकासकर्ता का होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
- 3— सीवरेज का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा निर्मित एस0टी0पी0 के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उसके मेन्टीनेन्स की कोई भी देनदारी बनती है तो उसका वहन आर0डब्ल्यू0ए0/विकासकर्ता द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित करने तक किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
- 4— ई0डब्ल्यू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का स्ट्रक्चर पूर्ण है तथा फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। अतः ई0डब्ल्यू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही इनके सापेक्ष बंधक बैंक गारण्टी को अवमुक्त किया जायेगा।
- 5— आवंटियों द्वारा कई बार विकास कार्यों की शिकायत की जाती है। अतः आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष अवशेष बंधक 06 भूखण्डों में चार भूखण्ड अवमुक्त किये

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ पृष्ठ संख्या 59 नोटशीट

जा सकते हैं तथा दो भूखण्ड कालोनी को नगर निगम को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही अवमुक्त किया जायेगा।

- 6- विकास कर्ता द्वारा बंधक भूखण्डों पर जो अस्थाई निर्माण किया गया है, उसे स्वयं ध्वस्त कर खाली करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अवलोकनोपरान्त कालोनी के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने तथा आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष 06 भूखण्डों में से चार भूखण्ड अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान करने हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करें।

[Signature]
23/02/18
(सतेन्द्र सिंह) (आमेत लोग)

[Signature]
24/2/18
सि-2-

Sir,
A. विठ्ठल शर्मा (अनुमोदन)
तथा विठ्ठल (ए-3-13) के शर्मा
के साथ उपरोक्त शर्मा के
अपील अनुमोदनार्थ

[Signature]
24/2/18

[Signature]
24/2/18

[Signature]
24.2.18
VC